कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/मुवसंउ/राजस्व-1/97/ 9654 भोपाल, दिनांक/ 13-10-97

प्रति,

1/ समस्त वनसंरक्षक,

2/ समस्त वनमंडलाधिकारी,
मध्य प्रदेश.

विषय:- कूपों में एवं डिपों में हुए नाप के अंतर के संदर्भ में छूट दिये जाने बाबत्.

संदर्भ:- 1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/एन0टी0टी0/3738 दि.5-4-76 -
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/राजस्व/10429, दिनांक 4-8-84 -
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मुवसंउ/दोहन/8770, दि.. 4-10-88 -
4. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/उ0/राजस्व/688 दिनांक 23-12-89 -

---

लट्ठों एवं बल्लियों के कूपों में लिये गये नाप और डिपों में लिये गये नाप में सूखत व अन्य अनेकों कारणों से अंतर आता है । कार्यालयीन पत्र क्रमांक - एन0टी0टी0/3738 दिनांक 5-4-76 व्दारा यह निर्देश दिए गये थे कि यह अंतर 2 से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । बाद में कार्यालयीन पत्र क्रमांक - /मुवसं/उ0/राजस्व/10429, दिनांक 4-8-84 व्दारा कूपों में नाप करते समय 2-3 सें0मी0 की छूट देने के निर्देश दिये गये थे । तदुपरांत कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मुवसं/दोहन/8770, दिनांक 4-10-88 व्दारा कूपों में नाप करते समय निम्नानुसार छूट दिये जाने के निर्देश दिये गये थे :-

क्र0	गोलाई सें0मी0 में		एलाउंस सें0मी0 में
1.	60 सें0मी0 तक	-	1 से 2
2.	61 से0 90 सें0मी0	-	1 से 2
3.	91 से 120 सें0मी0	-	2 से 3
4.	121 से 150 सें0मी0		2 से 3
5.	150 से ऊपर	-	3 से 4

पुन: इसके बाद पत्र क्रमांक/मु0व0सं0/उ0/राजस्व/1688, दिनांक 23.12.89 व्दारा पुन: कूपों में नाप करते समय 2 से 3 सें0मी0 तक छूट दिये जाने के निर्देश दिये गये थे ।

..2..

अनेकों ऐसे प्रकरण आडिट के दौरान सामने आये हैं कि जहाँ पर इस प्रकार के एलाउंस देने के बाद भी डिपों में पुनः नाप करते समय अंतर आया है। लोक लेखा समिति और शासन व्दारा इसे गंभीरता से लिया गया है। इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा उपरांत यह निर्णय हुआ है कि कूपों में गोलाई की नाप करते समय सूखत व अन्य कारणों से अंतर के लिए निम्न एलाउंस दिये जायें:-

अ0क्र0	गोलाई सें0मी0 में		एलाउंस सें0मी0 में
1.	60 सें0मी0 तक	–	1 से 2
2.	61 सें0मी0 से 90	–	2 से 3
3.	91 से 120 सें0मी0	–	2 से 3
4.	121 से 150 सें0मी0	–	3 से 4
5.	150 सें0मी0 से ऊपर	–	4 से 5

उपरोक्तानुसार एलाउंस दिये जाने के बाद कूप और डिपों में नाप में फिर अंतर नहीं आना चाहिए। यदि उसके बाद भी अंतर आता है तो यह माना जायेगा कि कूप में नाप लेते समय लापरवाही बरती गई है, व फलस्वरूप कटाई एवं संग्रहण पर जो अधिक व्यय हुआ है, वह कूप प्रभारी या संबंधित उत्तरदायी कर्मचारी से वसूल किया जायेगा। कृपया इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें।

13-10-97

॥ अशोक मसीह ॥
मुख्य वन संरक्षक॥उत्पादन॥
10/10/97 म0प्र0, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/राजस्व-1/ 9655 भोपाल, दिनांक/ 13-10-97
प्रतिलिपि:-

1/ प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन, वन विभाग भोपाल.
2/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल.
3/ समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल.
4/ समस्त मुख्य वन संरक्षक भोपाल.

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

13-10-97

मुख्य वन संरक्षक, ॥उत्पादन॥
म0प्र0भोपाल
10/10/97

एकम/ 91097,